पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र बाजदावा (Restoration) पेश हुयी। पत्रावली में प्रार्थना पत्र बाजदावी एवं जवाब का अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया।

अपीलांट/प्रार्थी अभिभाषक श्री [illegible] का कथन है कि दिनांक 28.3.12 को उनकी अपील को अदम-पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया है परन्तु न्यायालय द्वारा निर्णय व आदेशिका में इस तथ्य का अंकन नहीं किया गया है कि न्यायालय द्वारा कब-कब कितने बजे अपीलांट या उनके अभि० को आवाज लगवायी गयी थी। बाजदावी का प्रार्थना पत्र पढ़ते हुये कहा कि उनके द्वारा दिनांक 27.4.12 को ही दावे को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र समयावधि में जानकारी प्राप्त होते ही पेश कर दिया था। अपने पक्ष में तर्क दिया कि प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना आवश्यक है 28.3.12 के आदेश से अपीलांट को न्याय नहीं मिलेगा। अपीलांट अभि० ने अप्रार्थी/रेस्पो० के जवाब का भी हवाला दिया और जवाब को आधारहीन बताया तथा निगरानी किये जाने की के तथ्य को गलत बताया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट अभि० ने जवाब बहस देते हुये कहा कि न्यायालय में अपीलांट जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुआ क्योंकि अपीलांट व उसके अभि० द्वारा रेस्पोंडेंट की गलती नहीं बतायी जा रही थी और बार-बार आदेश के बाद भी लिखावट पेश नहीं किया जा रहा था। इस विनाय पर यह अपील 0 9 R 5 में खारिज योग्य थी यदि इस आदेश 9 R 5 में आदेश पारित किया जाता तो अपीलांट [illegible]

इसलिए इसके वजन के लिए अपीलांट / व उनके
अभिभावक ने जानबूझ कर यह अपील अदम
पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज करवाई है
अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया
साथ ही कहा कि बाजदायती के प्रार्थना पत्र को
2018 से दर्ज कराया है इसमें भी जानबूझकर
देरी करवाई गई है सन् 2018 में अब जाकर
दाखिल हुई है इससे उनके परिवार को
आर्थिक क्षति हुई है अतः प्रार्थना पत्र धारा-5 म्याद
स्वीकार करने का निवेदन किया है

हमने पत्रावली तथा निर्णय का
अवलोकन करते हुये पूर्व पत्रावली की आदेशिकाओं
का भी अवलोकन किया गया। यह तो सही
है कि वादी अपीलांट / प्रार्थी ने कभी भी
तलवाना समय पर पेश नहीं किया है।
अपीलार्थी / प्रार्थी के इस तर्क से सहमत
नहीं हुआ जा सकता है कि आदेशिका में
कब-कब व किसने क्या आवाज लगाई इसका
उल्लेख किये बिना आदेश गलत है। आदेशिका
से यही तात्पर्य है कि अपीलांट / प्रार्थी अदालत
में उपस्थित नहीं हुये। इसलिए अदम पैरवी व
अदम हाजिरी में अपील सही खारिज की है

चूंकि 28.3.12 के आदेश के
विरुद्ध बाजदायती का प्रार्थना पत्र 27.4.12 को ही
पेश कर दिया है तथा इसमें अपीलांट के वारिसान को
भी रिकार्ड पर ले लिया है और न्याय का तकाजा भी
यही है कि प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय हो
अतः न्यायहित में उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर
प्रार्थना पत्र बाजदायती 750/- रु कोस्ट पर स्वीकार
किया जाता है। मूल पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे
तथा पक्षकारों को सुनवाई हेतु व शामिल कार्यवाही हेतु
20/7/18 को पेश